कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

सत्यमेव जयते

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23234092, 23234093
Email: pranava.kumar@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ई-13/12/15/2019-जन-संपर्क 18.02.2021

प्रेस प्रकाशनी

*****

आवास के 10 किलोमीटर के दायरे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल या औषधालय उपलब्ध न होने की स्थिति में हितलाभार्थियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी पैनलबद्ध अस्पतालों से चिकित्सा देखभाल की सुविधा उपलब्ध।

नए भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के पश्चात कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, हितलाभार्थियों के निवास के आसपास बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चिकित्सा देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आवास के 10 किलोमीटर के दायरे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा देखभाल बुनियादी ढांचा अर्थात अस्पताल या औषधालय या बीमा चिकित्सा व्यवसायी आदि उपलब्ध न होने के कारण हितलाभार्थियों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिगत, कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थी अब कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पताल से बिना रेफरल के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी पैनलबद्ध अस्पतालों से नकदी रहित चिकित्सा देखभाल सेवाएं ले सकते हैं।

ऐसे क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थी आधार/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ कर्मचारी राज्य बीमा ई-पहचान पत्र/हैल्थ पासबुक सहित कर्मचारी राज्य बीमा पैनलबद्ध अस्पताल में जा सकते हैं और ओपीडी सेवाओं के लिए नकदी रहित चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। ऐसे हितलाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी औषधालय सह शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.) या जहां औषधालय सह शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.) उपलब्ध नहीं हैं, वहां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ओपीडी परामर्श के दौरान लिखी गई दवाओं की खरीद की प्रतिपूर्ति भी ले सकते हैं।

भर्ती रोगी उपचार के लिए जांच या दाखिले के मामले में नामिकागत अस्पताल 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करेगा और हितलाभार्थी को नकदी रहित उपचार प्रदान करेगा। मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति वेबसाइट www.esic.nic.in पर उपलब्ध है।

*****